

संख्या: डब्ल्यू-11032/5/2014/ जल
भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

8वाँ तल, पर्यावरण भवन,
सीजीओ कॉम्प्लैक्स, लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003
दिनांक 24 सितंबर, 2014

सेवा में,
श्री अशोक कुमार दास,
सचिव,
लोक स्वास्थ्य एवं इंजीनियरिंग विभाग,
असम सरकार,
बी-ब्लॉक, दूसरा तल, सचिवालय परिसर,
दिसपुर, गुवाहाटी- 781006

विषय: असम में बाढ़।

महोदय,

मुझे आपके राज्य में बाढ़ के बारे में मीडिया में आ रही खबरों का संदर्भ लेने और निम्नलिखित कहने का निदेश हुआ है:

2. दिनांक 23.09.2014 को आईएमआईएस डाटा के अनुसार एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों की उपलब्धता निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

अथशेष	82.71
वर्ष 2014-15 में जारी	246.42
वर्ष 2014-15 में व्यय	272.31
आज की तारीख में निधियों की निवल उपलब्धता	56.82

अतः एनआरडीडब्ल्यूपी से केंद्रीय अंशदान के रूप में 56.82 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध है जिसमें से 15 प्रतिशत राशि अर्थात् 8.52 करोड़ रुपये का उपयोग ओएंडएम के लिए तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु किया जा सकता है।

3. एनआरडीडब्ल्यूपी-निधि के प्रत्येक रिलीज में 10 प्रतिशत प्लैक्सी- फंड का प्रावधान है। राज्य इस प्लैक्सी-फंड को मुख्य योजनाओं के विस्तृत उद्देश्यों के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। इस संबंध में व्यय विभाग (वित्त मंत्रालय) का दिनांक 06.01.2014 का कार्यालय ज्ञापन संख्या: 55 (5)/ पीएफ-11/2011 प्रासंगिक है।

4. तथापि, यदि एक बार अंतर- मंत्रालीन केंद्रीय दल (आईएमसीटी) स्थल का दौरा करता है और भारत सरकार से सिफारिश करता है, तथा इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार एनआरडीडब्ल्यूपी- आपदा निधि के अंतर्गत पात्र मदों के लिए व्यय को उससे पूरा किया जा सकता है।

5. प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु निम्न उपाय "तत्काल" आधार पर किए जाएं:

क) डीजल जेनरेटर सैटों, पंपों को किराए पर लेना

ख) आपदा निधियों के अंतर्गत भविष्य में जारी किए जाने वाली राशियों से पूरा करने के अधीन प्रभावित साइटों को आपातकालीन जल आपूर्ति के लिए जल टैंकर किराए पर लेना।

ग) किटाणुओं का उचित रूप से नाश करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइट, हेलोजन टेबलेट, ब्लीचिंग पाउडर का प्रापण।

घ) स्थल पर (ऑनसाइट) जल शुद्धिकरण संयंत्रों के साथ फिट पर्याप्त मात्रा में वाहन किराए पर लेना।

ङ) अतिरिक्त पुर्जों, जिनकी पाइप द्वारा जल आपूर्ति योजनाओं और हैंड पंपों (ट्यूब-वैलों), दोनों के लिए तात्कालिक मरम्मत और बहाली कार्य हेतु आवश्यकता पड़ सकती है, का पर्याप्त स्टॉक रखना।

च) हैंड पंपों के लिए प्लेटफार्म बनाना।

छ) एनडीआरएफ/एसडीआरएफ निधियों के अंतर्गत भविष्य में जारी किए जाने वाली राशियों से पूरा करने के अधीन राहत कैंपों में जल आपूर्ति के लिए पीवीसी जल टैंकों का प्रापण।

6. उर्पयुक्त के अलावा, आप तत्काल राहत और बहाली कार्यों में सहायता के लिए गैर-प्रभावित क्षेत्रों से प्रभावित क्षेत्रों में जेई/एसईएम को तैनात कर सकते हैं। कृपया सीई कार्यालय में शीघ्र एक टॉल-फ्री नंबर सृजित करें और उस नंबर को सभी डीसी, एसई, ईई और बीडीओ को शीघ्र सूचित करें। यह सुविधा 24x7 आधार पर कार्य करनी चाहिए और मुख्य अभियंता/इंजीनियर-इन-चीफ को निदेश दें कि वे स्थिति में सुधार होने तक इस मंत्रालय को मोबाइल फोन पर स्थिति की रिपोर्ट दें।

7. प्रभावित ग्रामीण जनसंख्या को पीने योग्य पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सभी संभव उपाय किए जाएं।

भवदीय,

(राजेश कुमार)

निदेशक (जल)

दूरभाष: 011-24363152

फैक्स: 011-24364113

प्रतिलिपि:

श्री दिलीप कुमार दास, मुख्य अभियंता, पीएचईडी, असम सरकार

F. No. W-11032/5/2014/Water
Government of India
Ministry of Drinking Water and Sanitation

8th Floor, ParyavaranBhawan
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi – 110003
Dated : 24th September, 2014

To

Sh.P.W.Ingty,
Principal Secretary,
Public Health and Engineering Department,
Government of Meghalaya,
Secretariat, Shillong-793001.

Subject : Flood in Meghalaya.

Sir,

I am directed to refer to the news of flood in your State coming in the media and to state the followings:

2. As per IMIS data as on 23.09.14, the availability of NRDWP funds is as under:

	In Rupees (Crore)
Opening Balance	22.89
Release in 2014-15	10.77
Expenditure in 2014-15	14.76
Net availability of fund as on date	18.90

Hence an amount of Rs. 18.90 Crores is available as Central share from NRDWP fund out of which 15% amount i.e. Rs. 2.84 Crores against O&M may be utilised to meet emergent requirements.

3. There is a provision of 10% Flexi-fund in every release of NRDWP- fund. State may use this Flexi-fund to meet in accordance with the broad objectives of the main schemes. In this respect, OM of DoE (MoF) under F. No. 55(5)/PF. II/2011 dated 06.01.2014 is relevant.

4. However, once the Inter-Ministerial Central Team (IMCT) visits the site and makes recommendation to the Govt. of India, and as decided by the competent authority in this respect, the expenditure against eligible items under NRDWP- Calamity fund will be recouped from the same. Other expenditure is to be recouped from NDRF / SDRF.

5. The following measures may be taken up on "urgent" basis for providing safe drinking water in the affected rural areas for the following purposes.
- a) Hiring of diesel generator sets, pumps
 - b) Hiring of water tankers for emergency water supply to affected sites subject to recoupment from future releases under calamity funds
 - c) Procurement of sodium hypochlorite, halogen tablets, bleaching powder for proper disinfection
 - d) Hiring of sufficient vehicles fitted with water treatment plants to provide onsite safe drinking water
 - e) Keeping adequate stock of spare parts that may be required for urgent repair and restoration works both for piped water supply schemes and hand pumps (tube wells)
 - f) Raising platforms of hand pumps
 - g) Procurement of PVC water tanks for supply of drinking water in relief camps subject to recoupment from future releases under NDRF / SDRF.
6. In addition to the above, you may like to depute JEs / SEMs from non-affected areas to affected areas to help in immediate repair and restoration works. Please create a toll-free number in the CE Office urgently and inform the number to all DCs, SEs, EEs and BDOs urgently. This facility should be working on 24x7 basis and direct the CE/E-in-C to report the situation over mobile to this Ministry till situation improves.
7. All possible measures may please be taken to provide potable drinking water to the affected rural population.

Yours sincerely,

Rajesh
(Rajesh Kumar)
Director (Water)
Tel. 011-24363152
Fax. 011-24364113

Copy to:

Shri T.G.Abraham, Chief Engineer, PHED, Govt. of Meghalaya.